भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता– 3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह. –राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 17/03/2017 को स्थान–धान खरीदी प्रांगण, जगन्नाथपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता– 3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् श्री संजीव कुमार झा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में दिनांक 17/03/2017 को स्थान–धान खरीदी प्रांगण, जगन्नाथपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में दोपहरः 01:40 बजे लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित मेसर्स जगन्नाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट क्षमता– 3.0 एमटीपीए (नारमेटिव) एवं 3.50 एमटीपीए (पीक) के ग्राम–जगन्नाथपुर एवं पम्पापुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं ग्राम–परसवारकला एवं चौरा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में दिनांक 21.11.2016 एवं 24.11.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 07.12.2016 को उद्योग की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला–सूरजपुर (छ.ग.) के पत्र दिनांक 01/02/2017 के द्वारा उद्योग की लोकसुनवाई की तिथि दिनांक 17/03/2017, समय–दोपहर 12:00 बजे, स्थल–धान खरीदी प्रांगण, जगन्नाथपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में नियत की गई। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 02.02.2017 को राष्ट्रीय समाचार पत्र 'द टाईम्स ऑफ इंडिया', दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं स्थानीय समाचार पत्र अंबिकावाणी में 30 दिवस पूर्व लोकसुनवाई की 'सर्व संबंधितों को सूचना' प्रकाशित कराई गयी। ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालिक सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां सीडी सहित अवलोकनार्थ कार्यालय कलेक्टर, जिला–सूरजपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–सूरजपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवापारा, अंबिकापुर,

जिला–सरगुजा, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत– जगन्नाथपुर, केरता, पंपापुर, मदनपुर, मानपुर एवं धर्मपुर, तह.–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर, (छ.ग.), कार्यालय डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भू–तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। तत्पश्चात् कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया, इसके पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री अजय कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी, एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र द्वारा परियोजना के सम्बंध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित माईन के सम्बंध में अपने सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी व्यक्त करने हेतु आग्रह किया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री रामेश्वर लकड़ा, ग्राम जगन्नाथपुर– ग्रामपंचायत जगन्नाथपुर का ग्रामसभा का प्रस्ताव दिनांक 08.02.2014 एवं सरगुजा संभाग स्तरीय आदिवासी महापंचायत, जगन्नाथपुर का ग्रामसभा प्रस्ताव दिनांक 22.01.2017 के पालन के संबंध में, जगन्नाथपुर महान–3 परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में, ग्राम सभा का प्रस्ताव एस.ई.सी.एल. भटगांव द्वारा प्रस्तुत करने के संबंध में, भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 (3) (क), अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 244 (1) अनुच्छेद 244 (2), अनुच्छेद 19 (5) (6) के पालन के संबंध में, ग्रामपंचायत चौरा एवं पंपापुर के संबंध में जो आवेदन दिया गया है उसका जवाब अभी तक नहीं आया है।
2. श्री बाबूलाल सिंह, ग्राम मदननगर– जो आवेदन दिये हैं उसका जवाब आने दें उसके बाद ग्राम सभा किया जाय। हमारे बातों का ध्यान दिया जाये एवं पालन किया जाये।
3. श्री जंगसाय, ग्रामपंचायत गणेशपुर– संवैधानिक रूप से आज इस मंच से पर्यावरण जन सुनवाई का विरोध करते हैं। क्योंकि हमारी उपस्थिति में तीन ग्रामसभा आयोजित हुआ। अंतिम ग्रामसभा तहसीलदार प्रतापपुर की अध्यक्षता में यहां भारी बहुमत से हुआ जिसमे ग्राम जगन्नाथपुर के लोगों द्वारा कहा गया कि हम एक इंच जमीन नही देना चाहते। इससे पहले भी कई बार ग्रामसभा हुआ और भारी बहुमत के साथ ग्राम जगन्नाथपुर एवं आसपास के ग्रामसभाओं द्वारा भारी विरोध किया गया। शासन एवं प्रसाशन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये हमे खेद है। आदिवासी समाज की ओर से इसका हम घोर निंदा करते हैं, और इसका विरोध करते हैं। हमारे गांव में जो बैगा और भुरका है उसका अधिकार राष्ट्रपति के बराबर है। अनुच्छेद 13 (3) का घोर उल्लंघन हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और हम खारिज भी करते हैं। अनुच्छेद 244 (1) को पूर्ण स्वशासन एवं नियंत्रण की शक्ति है। यहां अनुच्छेद 244 (1) (2) का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिये पर्यावरण जनसुनवाई का हम विरोध करते

हैं। अनुच्छेद 244 (1) कंडिका (5) के तहत् सरकार द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून लागू नहीं है। लोग प्रतिनिधित्व कानून 1951, भू राजस्व संहिता कानून, भूमि अधिग्रहण कानून हमारे इलाके में लागू नहीं है। हमारे क्षेत्र में बिलद्वार आदिवासी परम्परा की याद दिलाता है हमारे बिलाली पाक देवता बिलद्वारा में स्थापित थे एस.ई.सी.एल. के आने के बाद से उसके विस्फोट से हमारा धार्मिक स्थल आज दब गया जिसमें सात लोगों की मौत हो गई। इसका घोर निंदा करते है और विरोध करते हैं। हमारे यहां जड़ी बूटी है एवं वन शक्ति देवता का जगह–जगह स्थान है जहां हमारे देवी देवता का निवास है इसलिए हम इस स्थान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जल, जंगल और जमीन हम किसी को नहीं देना चाहतें है। हमारे जगन्नाथपुर में ठडहा देवता का स्थान है। विधानसभा न लोकसभा सबसे बड़ी ग्रामसभा है। ये मैं नहीं कहता यह भारत का संविधान कहता है। हम पर्यावरण जनसुनवाई का घोर विरोध करते हैं।

4. श्रीमती भानमती, ग्राम कनकनगर– हमारे भारत देश में माता जी उठ कर खड़ी हुई हैं। हमार जंगल नहीं देहूं, हमर महतारी का पेट चीरत हाये भारत देश नहीं देहू। हम जमीन नहीं देहूं।
5. श्री महेश सोनी, ग्राम पंपापुर, चौरा– मैं एस.ई.सी.एल. में काम करता हूं। मेरी माता जी का तबियत खराब हो गया था, एस.ई.सी.एल. ने इलाज के लिये 27 लाख रूपये दिये। पंपापुर का पर्यावरण ठीक है। नौकरी से रिटायर होने के बाद 20 लाख रूपये मिलेगा। एस.ई.सी.एल. की नौकरी में पानी, गैस मिलती है। कोई तकलीफ नहीं है।
6. श्री शिवजीत मिंज, ग्राम जगन्नाथपुर– हमको नौकरी दी जाये, हम 80 प्रतिशत मुआवजा ले चुके हैं। 20 प्रतिशत बचा है। जल्द से जल्द नौकरी दी जाय।
7. श्री जीवन खाखा, ग्राम–जगन्नाथपुर– जगन्नाथपुर में खाताधारी 207 है। ज्यादा लोग मुआवजा ले चुके हैं। दूसरे गांव के लोग इसका विरोध कर रहें हैं हम लोगों को नौकरी दी जाये। चौरा में महान 2 में 48–49 दिन का ट्रेनिंग दिया गया है। कम समय में ट्रेनिंग दिया जाय। भाई लोग जो बोलेंगे उससे मैं सहमत हूं।
8. श्री कपिल देव सिंह, ग्राम–जगन्नाथपुर– यहां बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। बहुत धूल उड़ती हैं। पानी छिड़काव नहीं होता है। बहुत स्पीड से गाड़ी चलती है, गाड़ी धीमें चलायें जिससे दुर्घटना न हो। यही मैं कहना चाहता हूं।
9. श्री अरविंद वेक, ग्राम–जगन्नाथपुर– जगन्नाथपुर में 90 प्रतिशत मुआवजा ले चुके हैं। 10 प्रतिशत बचें हैं। हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द नौकरी दी जाये।
10. श्री धरणी धरण, ग्राम–जगन्नाथपुर– 125 लोग मुआवजा ले चुके हैं लेकिन नौकरी नहीं मिला। नौकरी नही मिलेगा तो हम क्या करेंगें ? रोड में दुर्घटना पर ध्यान दिया जाये। जल्द से जल्द नौकरी दिया जाय।
11. श्री सजंय लकड़ा, ग्राम–जगन्नाथपुर– रोड पर गड्ढा हो गया है। रोड खराब हो गई है। रोड बनवाने का कष्ट करे। पानी बराबर डलवाये, कृपया अच्छा रास्ता बनवायें।

12. श्री राजेश प्रजापति, ग्राम चौरा– दो महीने पहले फार्म भरा था जितना जल्दी हो नौकरी व मुआवजा फाईनल किया जाये।
13. श्री शंकर यादव, ग्राम चौरा– मेरा जमीन फंसा है मुआवजा दीजिए और खदान चालू करें।
14. श्रीमती सुनीता यादव, ग्राम पंपापुर– हमारा जमीन 3 भाग में जा रहा है। ये धरती हमारी मां है। जिस मां से बेटा छीन लिया जाये तो कितना कष्ट होता है। हमारी जमीन छीन ली जा रही है। हमारी जमीन चली जा रही है पैसा तो एस.ई.सी.एल. दे रही है, पर खतम हो जायेगा । हम हमारे पीढी के लिए कुछ नहीं बचा पा रहे है। हमे नौकरी दी जाये। मेरी पंपापुर की थोड़ी जमीन को महान 2 की जमीन में जोड़ दिया जाये। हमें नौकरी दी जाये हम पब्लिक एक, हमारा जमीन एक, हम परिवार एक हैं तो हमे नौकरी दी जाये। जिला अलग–अलग है लेकिन हम परिवार एक हैं हमारी जमीन एक है हमें नौकरी दी जाय, हमारा हक दिया जाये। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। हमारी मांग पूरी होगी तो समर्थन देंगे, नहीं तो नहीं।
15. श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम चौरा – खदान से बहुत प्रदूषण होता है, धूल डस्ट उडता है, खदान न खुले। महान– 3 में तीन एकड़ जमीन है दाना बीज नहीं लग रहा है। धूल से फसल खराब हो रही है। खदान नही खुलना चाहिए हम जमीन नहीं देंगे।
16. श्री बनवारी खलको, ग्राम मदननगर– हमारा क्षेत्र हाथी से प्रभावित हैं। हमारे लोगों को जब हाथी मरवा देता है तो हाथी को कुछ नहीं किया जाता है। हाथी द्वारा फसल नुकसान होने पर 2000 रूपये एकड़ दिया जाता है। एस.ई.सी.एल. एक पीढी को देगी दूसरी को नहीं । हमारे सेटलमेंट की जमीन को छीना जा रहा है। एक एकड़ मे 40 करोड से 80 करोड़ का मुनाफा होता है। हम अपना जमीन नहीं देंगे। हम पेड़ पौधों को देवी देवता मानते हैं, इसकी रक्षा करेंगे। संविधान में जो लिखा है उसकी रक्षा हम करेंगे।
17. श्री रमाशंकर गुप्ता, ग्राम चौरा– यह खुली खदान परियोजना है। डम्पिंग क्षेत्र में पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है। पर्यावरण का ध्यान रख कर खनन कार्य करें हम समर्थन करते हूं। एस.ई.सी.एल. द्वारा अच्छी सुविधा दी जायेगी। आसपास के गांव का विकास होगा। कल कारखाने से आर्थिक स्थिति में विकास होगा। एस. ई.सी.एल. रसोई गैस देता है जिससे जंगल की कटाई कम होगी। जो ग्राम अधिग्रहित क्षेत्र है उसका ध्यान रखे।
18. श्री टिकेश्वर खाका, जगन्नाथपुर, सरपंच– यहां खदान खुलने से सहमत नहीं हूं।
19. श्री सी. जय लकड़ा, ग्राम चौरा– कोयला डस्ट के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाये। डम्प किया गया वहां पौधा लगाया जाये। महान 2 में तेज ब्लास्टिंग होने से हमारे कुएं और नल सूख गया हैं इसलिए नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये। रोड पर जो गडढे हो गये हैं उसे सुधारा जाये।
20. श्री अशोक प्रजापति, ग्राम चौरा–मेरी समस्या है कि मेरा एक एकड़ जमीन है, आधा एकड़ जमीन का मुआवजा दिया गया है। जल्द से जल्द रिकार्ड सुधार कर नौकरी और मुआवजा देने का कष्ट करे।

21. श्री लक्ष्मीदास, ग्राम मदननगर– घर बेचने के बाद अपने घर में आते है कि नहीं? जो जमीन को नहीं देना चाहते है। जमीन देने के बाद में क्या होता है, बाल बच्चा कहां जायेंगे ? मुआवजा मिलने के बाद में क्या होता है पता है ? कभी मुर्गा खा लेगें कभी बकरा खा लेगें। उसके बाद क्या होगा ? जमीन देना नहीं चाहते है। खदान खुलने के बाद हमे भागना पड़ जायेगा जमीन हम नहीं देंगे। खदान का विरोध करते हैं।
22. श्रीमती उधो मिंज, ग्राम मदननगर– कोई एक एकड़ कोई आधा एकड़ जमीन दे रहे हैं। जमीन देने वालो की इज्जत नहीं है और जमीन लेने वाला का इज्जत भी नहीं है।
23. श्रीमती पांचो बाई, ग्राम जगन्नाथपुर– हम जमीन नहीं देंगे।
24. श्रीमती फुलकन, ग्राम जगन्नाथपुर – हम अपने बेटे को जमीन दे रहें है, बेटा अपने बेटे को जमीन देगा, यदि हम जमीन दे देंगे तो जमीन कहां से पायेंगे ? जमीन के बदले जमीन चाहिए नहीं तो हम जमीन नहीं देंगे। हम लोगों को खदान नहीं खुलवाना है।
25. श्रीमती रजनी, ग्राम जगन्नाथपुर– जमीन नहीं देना चाहती हूं।
26. श्रीमती ईशमति, ग्राम चौरा– मेरा जमीन चौरा में है। मेरा भैया नहीं है। मेरी जमीन है। मेरा कोई नहीं है। मेरे बाल बच्चे छोटे–छोटे है। जमीन नहीं देना चाहती हूं। मेरे को मुआवजा नहीं मिल पाया है, मेरा कागज नहीं बना है। खदान खोलने की अनुमति नहीं दे रही हूं।
27. श्री हउदा राम, ग्राम जगन्नाथपुर – मैं अपना जमीन कही भी दे सकता हूं।
28. श्री बालसाय, ग्राम मदननगर– जिस दिन से खदान खुली उस दिन से दो बार रायपुर गये तीसरी बार दिल्ली गये। तुम्हारा जमीन है दोगे तो लेगा, नहीं दोगे तो कोई नहीं लेगा। प्रतापपुर एस.डी.एम. के पास, सूरजपुर कलेक्टर एवं थाना चौकी गये कोई नहीं सुनता, हमारा कोई नहीं है। हम किसी को घूस नहीं देते हैं। हम जमीन नहीं दे सकते हैं, ये सब हैं एस.ई.सी.एल. के नौकर।
29. श्री धनुषधारी, ग्राम चौरा– मैं धरती मां का पुजारी हूं, मां ने जन्म दिया है, धरती मां मेरे को गोद लिया है इस धरती मां को खदान के लिए नहीं देना चाहता हूं। इसमें हमारे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। किसी को जमीन नहीं देना है हमारे बाल बच्चे मर जायेंगे।
30. श्री सोनसाय, ग्रामपंचायत सरपंच, ग्राम चौरा– मैं पहले भी सरपंच था अभी भी हूं। ग्रामसभा कौन दिया, लोगों ने कहा ठीक है। हमको फंसा दिया गया। पहले काम बंद किया गया फिर काम चालू कर लिया गया। आठ साल हमारी पेशी हुई, हमारी विजय हुई। काम ये फर्जी चल रहा है। गांव का कोई भी फार्म भरता है और पैसा निकाल लेता है और हमें फंसा देता है। हमारे गांव में खदान नहीं खुले। पर्यावरण क्षति हो रही है। हमारा केस हाईकोर्ट में चल रहा है, एस.ई.सी. एल. द्वारा केस किया गया है, कोर्ट जो निर्णय करे वह हम मानेंगे। गांव में अच्छा काम होना चाहिए। यदि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम खुद गिरेंगे। ग्रामसभा प्रस्ताव को गांवो के लोगों से विचार करके पास होना चाहिए।
31. श्री प्रभुराम, ग्राम जगन्नाथपुर– धरती हम लोगो का है। एस.ई.सी.एल. वाले धरती पर पांव नहीं रख रहें है। हम लोग खदान नहीं चाहते हैं कि यहां खदान

खुले। आप लोग पैसे से विकास कर लेंगे। हम तो जमीन से विकास कर पायेंगे।

32. श्री अमृत लकड़ा, ग्राम जगन्नाथपुर– खदान खुले न खुले वह अपनी जगह है। लोग कह रहे हैं कि जमीन दोगे तो जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे, तो बच्चों का क्या होगा, आप लोग इसका जवाब दें। जो पेड़ काट कर पौधे लगाये जा रहे हैं। उसका क्या मुआवजा मिलेगा। रोड के गडढे का मरम्मत कराया जाये। जल छिड़काव किया जाये। सड़क किनारे पेड़ पौधा लगाया जाये।

33. श्री सूरज एक्का, ग्राम जगन्नाथपुर– मेरा उम्र 18 साल है। धरती मां और अपनी मां में फर्क है। धरती मां 03 से 80 साल तक पालती है। यहां एक एकड में 8 लाख दिया जा रहा है, 8 लाख मे शहर मे 8 डिसिमल भूमि मिलेगा तो क्या करेंगें।

34. श्री नंदकेश्वर, ग्राम मदननगर – 12 पीढ़ी से मेरे बाप, दादा, परदादा है। हमें मुआवजा तो दे देंगे, हमारे अंतिम संस्कार के लिये बच्चा चाहिए तो क्या उसको भी मुआवजा देंगे ? आप लोग बता दीजिए।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग अपरान्ह 03:16 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री आर. के. निगम, महाप्रबंधक द्वारा उद्योग के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 03:30 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लोकसुनवाई समापन की घोषणा की गई ।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 21 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 34 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 400 व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल 173 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, सूरजपुर,
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)